

06-12-19 पत्रावली पेश हुई- उभयपक्ष उपास्थित तहसीलदार माण्डल से मौका विपार्ट प्राप्त हुई जिसमें शामिल पत्रावली क्रिया गया। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्तु आदेश हेतु निपत दिनांक 10-12-19 को पेश हो।

10-12-19 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक का पेश हो।
31/12/19

13-12-19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपास्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A से का० अधिनियम के तहत अपनी स्वतन्त्र आराजी नं० 514/200 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम चैना काखेडा पलवार एल्का बालवास तहसील माण्डल जिला नीलवाड़ा में स्थित उक्त भूमि प्रार्थीगण के जाने जाने हेतु वास्ता विपक्षी सं० 0L लगायत 08 की आराजी नम्बर 222, 223, 203, 515/200 में से 15 फीट चौड़ाई का वास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तहसीलदार माण्डल की मौका विपार्ट में बताया गया कि आराजी सं० 514/200 में जाने जाने हेतु मौके पर वर्तमान में कोई वास्ता बना हुआ नहीं है। वांछित वास्ते की मौके पर बन्द नहीं कर रखा है। मौके पर उक्त आराजी पर बागौर से चान्द्रास जाने वाली सड़क से आराजी नं० 220 रकबा 6-13 बीघा बिहानाग्र भूमि से लेते हुए आराजी नं० 203 व 222 के उत्तरी सिरे से खानेदार अपनी स्व

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला नीलवाड़ा

की आराजी में आ जा सकते हैं। आराजी नम्बर
522/200 रकबा 3.00 की छासे होते हुए अपने स्वयं
की आराजी में आ जा रहे हैं। सड़क पर सड़क से
आराजी नं० 220 बिलानाम से होते हुए वैकल्पिक रास्ता
है। नक्शा इस में वैकल्पिक मार्ग आराजी नं० 199 में
बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना
को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण
का प्रार्थना पत्र श्वारीज किया जाना उचित समझता
हूँ. अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में
असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र
श्वारीज किया जाता है रकबा फिदकेन अपना
कहम करे।

पञावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर सखिल हो।



उपस्थंड अधिकारी
मांडल जिला भीतवाड़ा